

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2026—आषाढ़ 5, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 मार्च 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/93//2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2026

क्रमांक/88/भू-अर्जन/2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार- भाटापारा	सिमगा	डोंगरिया प.ह.नं. 05	0.600	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक 3, तिल्दा- नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	चक्रवाही वितरक नहर के अकलतरा माईनर के डोंगरिया सब माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2026

क्रमांक/90/भू-अर्जन/2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार- भाटापारा	सिमगा	चौरंगा प.ह.नं. 09	3.144	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक 3, तिल्दा- नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	चक्रवाही वितरक नहर के चौरंगा माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2026

क्रमांक/92/भू-अर्जन/2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार- भाटापारा	सिमगा	औरेठी प.ह.नं. 16	0.158	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक 3, तिल्दा- नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	सिमगा वितरक नहर के माईनर क्रमांक-02 के सब माईनर क्रमांक-04 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2026

क्रमांक/94/भू-अर्जन/2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार- भाटापारा	सिमगा	बनसांकरा प.ह.नं. 13	3.220	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक 3, तिल्दा- नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	सिमगा वितरक नहर के माईनर क्रमांक-06 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुलदीप शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 20 मई 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/5537/201806050400030/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन				प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	हरदीबाजार	उत्तरदा प.ह.नं. 11	9.324	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा	लोटनापारा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर दायीं तट एवं बायीं तट शाखा नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

सारंगढ़-बिलाईगढ़, दिनांक 25 मई 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 672/202602320600007/अ-82/2025-26.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जाएगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-ईच्छा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.066 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

	336/3	0.066
योग		0.066

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कलमा बैराज निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पद्मिनी भोई साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-नारायणपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नारायणपुर, दिनांक 22 मई 2026

रा.प्र.क्रमांक 132/202505170400029/अ-82/2024-25.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-नारायणपुर
(ख) तहसील-छोटेडोंगर
(ग) नगर/ग्राम-परपा, प.ह.नं. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.6292 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.1320
5	0.0836
46	0.0264
45	0.0726
30	0.0836
43	0.0110
44	0.0594
42/1	0.0726
40	0.0440
29	0.0440
योग	10 0.6292

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार होते हुए जिला मुख्यालय नारायणपुर तक 21.00 कि.मी. सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), नारायणपुर के कार्यालय में किया जा सकता है

नारायणपुर, दिनांक 22 मई 2026

रा.प्र.क्रमांक 132/202505170500005/अ-82/2024-25.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-नारायणपुर
(ख) तहसील-छोटेडोंगर
(ग) नगर/ग्राम-कुम्हारीबेड़ा, प.ह.नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.328 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
138	0.049
139	0.051
147	0.028
123	0.034
122	0.034
119	0.064
151	0.013
150	0.055
योग	8 0.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार होते हुए जिला मुख्यालय नारायणपुर तक 21.00 कि.मी. सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), नारायणपुर के कार्यालय में किया जा सकता है

नारायणपुर, दिनांक 22 मई 2026

रा.प्र.क्रमांक 132/202505170400027/अ-82/2024-25.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-नारायणपुर
(ख) तहसील-नारायणपुर
(ग) नगर/ग्राम-ताड़ोनार, प.ह.नं. 25
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.5106 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.1408
11	0.0620
17	0.0240
18	0.0836
55	0.1364
56	0.0638
योग	6
	0.5106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार होते हुए जिला मुख्यालय नारायणपुर तक 21.00 कि.मी. सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), नारायणपुर के कार्यालय में किया जा सकता है

नारायणपुर, दिनांक 22 मई 2026

रा.प्र.क्रमांक 132/202505170400028/अ-82/2024-25.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-नारायणपुर
(ख) तहसील-नारायणपुर
(ग) नगर/ग्राम-गोटाबेनूर, प.ह.नं. 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.157 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.061
17	0.130
16	0.012
20	0.022
13	0.05
24	0.18
26	0.004
39	0.19
40	0.040
योग	9
	0.689

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार होते हुए जिला मुख्यालय नारायणपुर तक 21.00 कि.मी. सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), नारायणपुर के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नम्रता जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 10 जून 2026

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1384/202606042100085/बी-121/2025-26. — राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 34, तहसील डभरा, जिला सक्ती से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा, प.ह.नं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-सिंहा, प.ह.नं. 33, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

ग्राम-सिंहा, प.ह.नं. 35, रा.नि.मं.-बड़ेभण्डार, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	सिंहा प.ह.नं. 35	203/1	0.019
			221	0.590
			321	0.141
			330/1	0.440
			332	0.244
			333/2	0.040
			333/3	0.150
			333/4	0.131
			333/5	0.026
			334	0.294
			336/1	0.018
			358/2	0.074
			359/1	0.065
			359/2	0.073
			359/3	0.109
			359/4	0.074
			363	0.160
			364/2	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			365	0.020
			366/1	0.004
			366/2	0.020
			366/3	0.061
			367/1क	0.166
			368	0.141
			369	0.125
			370/1	0.107
			372/2	0.072
			373/2	0.049
			374/1	0.092
			375/1	0.020
			375/2	0.223
			376/1	0.128
			428/1	0.130
			430	0.030
			431/1	0.030
			432/1	0.020
			432/2	0.113
			433	0.004
			434	0.099
			435/1	0.198
			436	0.114
			445/1	0.011
			445/3	0.094
			445/4	0.091
			445/5	0.035
			445/6	0.092
			451/1	0.039
			451/2	0.053
			470	0.051
			471	0.154
			472/1	0.166
			475/1	0.138
			475/2	0.169
			476	0.012
			485	0.037
			486/2	0.010
			486/3	0.016
			487/1	0.028
			487/2	0.186
			487/3	0.136
			488	0.008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			489	0.075
			490	0.012
			491/1	0.217
			360/1	0.029
			361/1	0.121
			361/2	0.081
			362/2	0.028
			377/1	0.006
			413	0.018
			425	0.095
			426/3	0.011
			464	0.029
			466/1	0.176
			466/2	0.065
			466/3	0.112
			492/1	0.122
			492/2	0.123
योग			78	7.464

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

महेश शर्मा
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 मई 2026

क्रमांक GENCOR/3789/2026-Section-Scheme/261514.—“भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना” में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/68/04/योजना/बीओसी/2022/132 दिनांक 09-12-2022 के कंडिका (घ) योजना में देय हितलाभ के बिन्दु 1. कंडिका (ड.) योजना हेतु पात्रता

के बिन्दु 1 एवं कंडिका (च) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया के बिन्दु 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

योजना का नाम :— “निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना”

(घ) **योजना में देय हितलाभ :—**

1. प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लिखित अनुरूप शाला गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु प्रस्तावित देय सहायता राशि एक मुश्त देय होगी.

क्र.	कक्षा	शाला गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु प्रस्तावित देय सहायता राशि
1.	कक्षा 01 से 08 तक	रु. 1,000
2.	कक्षा 9वीं से 12वीं तक	रु. 2,000

के स्थान पर —

1. प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लिखित अनुरूप शाला गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु प्रस्तावित देय सहायता राशि एक मुश्त देय होगी.

क्र.	कक्षा	विवरण	देय राशि
1.	कक्षा 9वीं एवं 10 वीं	गणवेश हेतु	रु. 1,000
2.	कक्षा 11 वीं एवं 12वीं	गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु	रु. 2,000

(ड.) **योजना हेतु पात्रता :—**

1. मंडल अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक देय छात्रवृत्ति के लिए पात्र श्रमिक के बच्चे योजनांतर्गत पात्र होंगे.

के स्थान पर —

1. “मंडल अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक देय छात्रवृत्ति के लिए पात्र श्रमिक के बच्चे कंडिका (घ) के बिन्दु 1 अनुसार पात्र होंगे.”

(च) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

2. योजना के तहत मंडल अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति उपरांत स्वीकृत आवेदन निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं लेखन सामग्री हेतु सहायता योजना हेतु स्वतः लाभान्वित होंगे.

के स्थान पर —

2. योजना के तहत मंडल अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति उपरांत स्वीकृत आवेदन निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता योजना हेतु कंडिका (घ) के बिन्दु 1 अनुसार स्वतः पात्र माने जाएंगे.

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी)

उक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

गिरीश रामटेके
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 704/दो-2-31/2017.— श्री पंकज कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. (पी.ए.) एक्ट रायपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 705/दो-2-35/2015.— श्री उत्तरा कुमार कश्यप, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजनांदगांव (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 706/दो-3-22/2010.— कु. रंजू राउतराय, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 707/दो-3-26/2012.— श्री विनोद कुमार देवांगन, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 708/दो-2-17/2015.— श्री बलराम प्रसाद वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 709/दो-3-37/2023.—श्री संतोष ठाकुर, एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 710/दो-3-40/2010.—श्री विजय कुमार होता, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा वर्तमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 11-09-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 711/दो-2-20/2019.—श्री थॉमस एक्का, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 712/दो-3-35/2011.—श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, बजट अधिकारी.